उत्तर प्रदेश शासन
कर एवम् निबन्धन अनुभाग-5
संख्या:- 4/2015/706/11-5-2015-312(45)/15
लखनऊ दिनांक: 24 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2/2015/445/43-2/ 2014, दिनांक 18 मार्च, 2015 के द्वारा शासन स्तर पर अनुभाग अधिकारी को पदेन जनसूचना अधिकारी नामित किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

2- स्टाम्प एवम् निबन्धन विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विचारोपरान्त श्री सुधीन्द्र कुमार, उप सचिव, स्टाम्प एवम् निबन्धन विभाग को अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है, **जिनका दूरभाष नम्बर-2214699 तथा मोबाइल नम्बर- 9454412468 है।**

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. सचिव, राज्य सूचना आयोग, इन्दिरा भवन लखनऊ।
3. अनुभाग अधिकारी कर एवम् निबन्धन अनुभाग-5/7 को इस आशय से प्रेषित कि सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवेदकों से प्राप्त होने वाली अपीलों को तत्काल अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित अधिकारी।
5. गार्ड बुक।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in